## <u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रकरण.क.—1219 / 2013</u> संस्थित दिनांक—23.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बिरसा,	
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	<i>– – – – –</i> <u>अभियोजन</u>
🔊 🔊 / विरूद्ध	//
राजेन्द्र रहांगडाले पिता शंकरलाल, उम्र–45 वर्ष,	
निवासी–ग्राम शाखा, थाना बिरसा,	
जिला–बालाघाट (म.प्र.)	<u>आरोपी</u>
<u> </u>	
(अपन दिनांक—11 / 05 / 2015 को घोषित)	

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—184 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—23.11.2013 को करीब 12:45 बजे थाना बिरसा अंतर्गत, ग्राम शाखा बस्ती रोड, लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50 / एम.1570 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीक से चलाते हुए ट्रेक्टर पर बैठे हुए मृतक बांकेलाल कांवरे को गिराकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है तथा उक्त वाहन को खतरनाक तरीके से चलाया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—23.11.2013 को समय 12:45 बजे थाना बिरसा अंतर्गत, ग्राम शाखा बस्ती रोड, लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर कमांक—एम.पी.50 / एम.1570 लोकमार्ग पर वाहन चालक आरोपी द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाते मृतक बांकेलाल को ट्रेक्टर से गिरा दिया, जिसे ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल बिरसा में भर्ती किया गया, जहां ईलाज के दौरान बांकेलाल की मृत्यु हो गई। उक्त घटना के सबंध मे अस्पताल तहरीर के माध्यम से थाना बिरसा में सूचना दी गई जहां मृतक की मृत्यु के संबंध में मर्ग इंटीमेशन कमांक—49 / 2007 लेख करते हुये नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव

का शव परीक्षण करवाया गया। उक्त मर्ग की जांच पर थाना बिरसा में वाहन चालक आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक—165/2013, धारा—304(ए) भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—184 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त किया तथा पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—184 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।
- 4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक—23.11.2013 को करीब 12:45 बजे थाना बिरसा अंतर्गत, ग्राम शाखा बस्ती रोड, लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी. 50 / एम.1570 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीक से चलाते हुए ट्रेक्टर पर बैठे हुए मृतक बांकेलाल कांवरे को गिराकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?
  - 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को खतरनाक तरीके से चलाया ?

## विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5— छन्नूलाल कांवरे (अ.सा.1) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी राजेन्द्र को नहीं पहचानता। घटना दिनांक—23.11.2013 की है। उसे सूचना मिली थी कि उसके पिता बांकेलाल का एक्सीडेन्ट हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। वह बिरसा के अस्पताल गया था, जहां उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। दुर्घटना कैसे हुई थी उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिया

था। पुलिस ने उसके पिता के शव का पंचनामा करवाकर, शव का परीक्षण करवाया था। पंचायतनामा का सूचना पत्र प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके पिता की दुर्घटना आरोपी के ट्रेक्टर से हुई थी और घटना के समय आरोपी उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—3 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके अस्पताल पहुंचने पर शव पंचनामा पर हस्ताक्षर कराया था। इस प्रकार साक्षी ने मात्र दुर्घटना के कारण उसके पिता बांकेलाल की मृत्यु होने की पुष्टि की है, किन्तु शेष तथ्यों के संबंध में अभियोजन मामलें का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

- 6— मन्तूलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह आरोपी राजेन्द्र को नहीं पहचानता। घटना दिनांक—23.11.2013 की है। उसे सूचना मिली थी कि उसके पिताजी बांकेलाल का एक्सीडेन्ट हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। वह बिस्सा के अस्पताल गया था, जहां उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। दुर्घटना कैसे घटित हुई उसे जानकारी नहीं हो पाई। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिये थे। पुलिस ने उसके पिता के शव का पंचनामा करवाकर, शव का परीक्षण करवाया था। पंचायतनामा प्रदर्श पी—1 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी—2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इंकार किया है कि उसके पिता की दुर्घटना आरोपी के से हुई थी और घटना के समय आरोपी उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—4 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके अस्पताल पहुंचने पर शव पंचनामा पर हस्ताक्षर कराया था। इस प्रकार साक्षी ने मात्र दुर्घटना के कारण उसके पिता बांकेलाल की मृत्यु होने की पुष्टि की है, किन्तु शेष तथ्यों के संबंध में अभियोजन मामलें का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।
- 7— जितेन्द्र (अ.सा.3), बिसाउ (अ.सा.4) एवं मटुक सिंह (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी न होना प्रकट किया है। उक्त साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस सुझाव

से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी राजेन्द्र चलाते हुए आ रहा था। साक्षीगण ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वाहन में बैठे बांकेलाल को उछाल दिया, जिससे मृतक बांकेलाल की मृत्यु कारित हुई थी। साक्षीगण ने उनके पुलिस कथन क्रमशः प्रदर्श पी—5, प्रदर्श पी—6, प्रदर्श पी—7 से भी इंकार किया है। साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलें का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— डाक्टर हैमा बिसेन (अ.सा.६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—23.11.2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक कमलेश पन्द्रे कमांक—1174 के द्वारा मृतक बांकेलाल कांवरे उम्र—70 वर्ष, निवासी मानेगांव के शव को पी.एम. हेतु पेश करने पर शव की पहचान उसके पुत्र छन्नूलाल द्वारा की गई थी। शव का उसके द्वारा बाह्य परीक्षण करने पर उसने शरीर के बाहरी हिस्से पर चोटें पाई थी तथा आंतरिक परीक्षण में यकृत फटा हुआ तथा दाहिनी किंडनी फटी हुई पाई थी, पैर, सिर, नाक व हाथ की हड्डी फेक्चर पाई थी। मृतक की मृत्यु का कारण अंधरूनी अंग फटने व अत्यधिक रक्तसाव होने से हुई थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय मृतक बांकेलाल की दुर्घटना के कारण आई चोट से मृत्यु कारित होने की पुष्टि की है।

9— प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी एम.एम. धुर्वे फौत होने से उसकी साक्ष्य अभियोजन की ओर से पेश नहीं की जा सकी है। प्रकरण में अभियोजन ने जिन चक्षुदर्शी साक्षीगण जितेन्द्र (अ.सा.3), बिसाउ (अ.सा.4) एवं मटुक सिंह (अ.सा.5) को पेश किया है। उक्त साक्षीगण के द्वारा चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामलें का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण ने घटना के समय आरोपी के द्वारा कथित दुर्घटना कारित वाहन का चालन करने से भी इंकार किया है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा कथित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से अथवा खतरनाक तरीके से चलाए जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है। इस कारण अभियोजन का मामला आरोपी के विरुद्ध संदेहास्पद हो जाता है।

10— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—एम.पी. 28/ई.0301 को लोकमार्ग पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी. 50/एम.15 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीक से चलाते हुए ट्रेक्टर पर बैठे हुए मृतक बांकेलाल कांवरे को गिराकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। अभियोजन ने यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने कथित घटना के समय वाहन को खतरनाक तरीक से चलाया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304(ए) एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—184 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

11— अारोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक—एम.पी.50 / एम.1570 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार राजेन्द्र रहांगडाले पिता शंकरलाल निवासी ग्राम शाखा थाना व तहसील बिरसा, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, जो अपील अविध पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट